झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 10/22-23 ग्र.का. /राँची, दिनांक 22.6.22

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखण्ड में उत्तर कोयल नदी के बांये किनारे मोखापी से सुंडीपुर तक कटाव निरोधक कार्य हेतु रू 989.00 लाख (नौ करोड़ नवासी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रंखण्ड में उत्तर कोयल नदी के बांये किनारे मोखापी से सुंडीपुर तक कटाव निरोधक कार्य हेंतु रू 989.00 लाख (नौ करोड़ नवासी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

3. योजना अर्न्तगत TAC एवं SRC की अनुशंसा के आधार पर निम्न कार्य कराये जायेंगे :–

(i)सुण्डीपुर Bridge के D/S में 500 मीटर लम्बाई में औसत 6.75 मी० ऊँचाई तक Crated Boulder Pitching का कार्य।

(ii)मोखपी से सुण्डीपुर तक 6.270 कि०मी० में कोयल नदी के बायें तट में हो रहे कटाव को राकने हेतु 30 स्थान पर आवश्यकतानुसार Bed Bar (21 मी०X 10.50 मी०X 3.00 मी०) का निर्माण कार्य।

4. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कराया जायेगा।
5. इस कार्य पर होनेवाला व्ययः–

मुख्य शीर्ष –4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –01– बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक, उप शीर्ष–61–नई एवं चालू बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव निरोधक कार्यो का निर्माण, विस्तृत शीर्ष – 05 निर्माण, 45 –निर्माण कार्य (49–S–4711–01–789–61–00–05–45) के अंतर्गत भारित होगा।

6. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2022–23 में उक्त बजट शीर्ष में रू० 410.00 लाख का प्रावधान है।
7. उक्त प्रस्तावित कार्य जल पथ प्रमण्डल गढ़वा द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल गढ़वा होगें एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी कोषागार गढ़वा से किया जायेगा।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
10. कोषागार से राशि की निकासी प्राक्कलन के अनुरूप वास्तविक कार्य के आधार पर तैयार विपत्र के आलोक में की जायेगी।
11. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम--174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 10/22-23 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 22.6.22

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 10/22-23 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 22.6.22

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 10/22-23 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 22.6.22

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल गढ़वा /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/अधिक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल –2, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 10/22-23 /राँची, दिनांक 22.6.22

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 10/22-23 /राँची, दिनांक 22.06.22

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Node-4\De. Sir\Sanlekha\Flood 2019\Medininagar 2021 ,22\Kandi div 22.01.2021.doc